राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 954/2023

रामनिवास रैगर (कर्मचारी आई.डी.– आरजेयूडी201837014942)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.02.2023
आदेश की दिनांक : 27.03.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पुलिस थाना, माण्डवा जिला उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने 2013 में रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें अपीलार्थी सफल हुआ था, परंतु अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई थी। जिस पर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2707/2016 प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.02.2017 पारित किया था। इसके पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.05.2018 के जरिये कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी को पूर्व में नियुक्ति नहीं दिये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के मामले में पुनः विचार करने के निर्देश दिये थे। जिस पर अपीलार्थी को नियुक्ति बाद में प्रदान की गई। ऐसे में अपीलार्थी की वरिष्ठता व नोशनल लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)